राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

2—2,ए झालाना डूंगरी, जयपुर
दूरभाष नं. 0141—2700540 फैक्स 0141—2710362 जी.एस.टी. नं. 08AAAAR6050Q1Z2

क्रमांकः एफ—4 / बिक्री / रारापामं / 2021 /   दिनांक :

मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक वितरण केन्द्र
समस्त।

विषय : शिक्षा—सत्र 2021—22 हेतु पुस्तक विक्रेताओं की मांग भिजवाने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षिक सत्र 2021—22 हेतु पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं की मांग प्राप्त करने हेतु कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 के मांग पत्र, फर्म संबंधी आवश्यक प्रपत्र एवं विज्ञप्ति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। आप मांग पत्र की फोटो प्रति करवाकर केन्द्र पर पंजीकृत सभी पुस्तक विक्रेताओं को डाक से भिजवाये जाने की व्यवस्था करें एवं विज्ञप्ति को आवश्यक रूप से नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। पुस्तक विक्रेताओं से उनकी मांग दिनांक **22.02.2021** तक प्राप्त की जावेगी। प्राप्त मांग को पुस्तक विक्रेता वाइज कक्षावार एवं विषयवार कम्प्यूटर में इन्द्राज कर संलग्न सूची के क्रमानुसार ही सॉफ्टकॉपी (Excel Sheet) ई—मेल एवं हस्ताक्षरित हार्डकॉपी मुख्यालय को भिजवायें। पुस्तक विक्रेताओं से प्राप्त मांग का इन्द्राज RSTB के सॉफ्टवेयर में चालू सत्र (2021—22) में सॉफ्टवेयर अपडेट होने के पश्चात् ही करें ताकि तत्कालीन सत्र में पुस्तक विक्रेताओं की मांग सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित हो सके।

जिन पुस्तक विक्रेताओं ने पंजीकरण के साथ अमानत राशि के रूप में एक मुश्त रूपये 10,000 / — जमा करा दिये हैं उनसे अन्य किसी प्रकार की राशि जमा नहीं की जावेगी। पुस्तक विक्रेता द्वारा दी गई मांग की पुस्तकें उसी वित्तीय वर्ष में उठानी होंगीं। यदि दी गई मांग अनुसार पुस्तकें नहीं उठायी जाती हैं तो प्रबन्धक पुस्तक विक्रेता द्वारा जमा कराई गयी अग्रिम राशि को जब्त किये जाने की अभिशंषा सहित मुख्यालय को सूचना प्रेषित की जावे।

समस्त मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक पुस्तक विक्रेताओं से प्राप्त मांग को व्यक्तिशः चैक करें तथा पुस्तक विक्रेताओं द्वारा गत वर्षों में क्रय की गई पुस्तकों के आधार पर तुलना कर उनकी मांग का औचित्यपूर्ण निर्धारण करने के पश्चात् सम्पूर्ण जिले के पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं की मांग को उपरोक्तानुसार इकजाई कर दिनांक 22.02.2021 तक ई—मेल द्वारा मुख्यालय भिजवाने की व्यवस्था करें, जिससे आगामी शिक्षा सत्र 2021—22 हेतु पुस्तक विक्रेताओं की मांग के अनुसार पुस्तकों का मुद्रण करवाकर शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व बिक्री हेतु पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा सकें। पुस्तक विक्रेताओं को आपके माध्यम से जारी किया जाने वाला पत्र एवं पुस्तकों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :— मांग पत्र, फर्म हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं विज्ञप्ति।

सचिव
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल
जयपुर

क्रमांक : एफ—4 / बिक्री / रारापामं / 2021 /   दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. मुख्य लेखाधिकारी महोदया, मुख्यालय जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी संस्थापन, लेखा / वाणिज्य, कैश शाखा एवं उत्पादन शाखा, मुख्यालय जयपुर।

प्रभारी बिक्री / वितरण शाखा
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल
जयपुर

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

2–2,ए झालाना डूंगरी, जयपुर

दूरभाष नं. 0141–2700540 फैक्स 0141–2710362 जी.एस.टी. नं. 08AAAAR6050Q1Z2

क्रमांक : दिनांक :

फर्म ....

....

....

विषय : शिक्षा–सत्र 2021–22 हेतु मण्डल द्वारा मुद्रित कक्षा 1 से 12 की पाठ्यपुस्तकों की मांग के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 की पुस्तकों की मांग कक्षावार एवं विषयवार राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के जिला स्थित वितरण केन्द्र कार्यालय में संलग्न शर्तों के अनुसार अपनी मांग आवश्यक रूप से दिनांक .... तक प्रस्तुत कर दें।

1. नवीन पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं को पंजीकृत शुल्क मण्डल कोष में रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार) जमा कराना अनिवार्य है। यह स्थायी रूप से अमानत राशि मण्डल कोष में जमा रहेगी। भविष्य में कोई पुस्तक विक्रेता मण्डल की पुस्तकें विक्रय करने का निश्चय नहीं करता है तो उसके आवेदन पर यह अमानत राशि पुस्तक विक्रेता को लौटा दी जायेगी, परन्तु यह मण्डल द्वारा पुस्तक विक्रेता को बेची जाने वाली पुस्तकों के कैश मीमो के विरूद्ध समायोजित नहीं की जायेगी। जिन पुस्तक विक्रेताओं ने एक मुश्त 10,000 रूपये जमा करा दिये हैं उनको अन्य किसी प्रकार की राशि जमा नहीं करानी है।
2. मांग पत्र के साथ कक्षा 1 से 12 की मांग संलग्न प्रोफार्मा में संख्या भरकर भिजवायें। पुस्तक विक्रेता मांग प्रस्तुत करते समय इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि उनके द्वारा जो मांग प्रेषित की जा रही है वह सही एवं औचित्यपूर्ण है तथा वह अपनी मांग अनुसार मण्डल से पुस्तक अवश्य क्रय करेगा। मांग प्रति कक्षावार 10 पुस्तकों के गुणांकों में ही प्रस्तुत की जायें। नवीन पुस्तक विक्रेता मांग के साथ अमानत राशि 10,000 रूपये का चालान नं0 व दिनांक अंकित करते हुए मांग प्रस्तुत करें। अमानत राशि के अभाव में मांग स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. आपकी मांग के अनुसार पुस्तकें मण्डल के जिला स्थित वितरण केन्द्रों से विक्रय की जायेंगी। पुस्तकें प्राप्त करते समय वितरण केन्द्र द्वारा कक्षावार पुस्तकों का मूल्य उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
4. पुस्तक विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत मांग आपूर्ति/अवशेष अनुसार संबंधित वितरण केन्द्रों से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. खुली बिक्री प्रारम्भ होने पर पुस्तक विक्रेताओं को बिक्री सप्ताह में एक बार ही की जायेगी।
6. एक बार मण्डल में प्रस्तुत मांग पत्र में अंकित मांग में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं होगा। कक्षा 1 से 12 के लिए मांगानुसार सम्पूर्ण राशि जमा कराकर मण्डल के स्थानीय वितरण केन्द्र से पुस्तकें प्राप्त की जा सकेंगीं।
7. चूंकि शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। अतः कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मूल्य प्रक्रियाधीन होने के कारण आपको मूल्य निर्धारित होने के पश्चात् मण्डल द्वारा उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
8. मण्डल द्वारा कक्षा 1 से 12 की पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर नियमानुसार छूट देय होगी।
9. मांग पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ ही मान्य होगा इसलिए पुस्तक विक्रेता को चाहिए कि वे यथा स्थान पर फर्म की पंजीयन संख्या पूर्ण पता/मोबाइल नं0/दूरभाष नं0 तथा मण्डल द्वारा वांछित जानकारी अंकित करें। मांग पत्र में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग स्पष्टतः (अंकों व शब्दों में) लिखकर हस्ताक्षर व मोहर अवश्य अंकित करें। किसी तरह की शर्त अपनी ओर से मांग पत्र में अंकित नहीं करें।
10. मांग प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि .... होगी। इस तिथि के पश्चात् मांग स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी प्रकार की जानकारी के लिए मण्डल के जिला स्थित वितरण केन्द्र कार्यालय में प्रबन्धक से सम्पर्क कर सकते हैं एवं मण्डल की वेवसाइट www.education.rajasthan.gov.in/rstb पर भी उक्त सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
11. **मण्डल मुख्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश सर्वमान्य होंगे।**

चूँकि मण्डल द्वारा आगामी शिक्षा सत्र 2021–22 की पुस्तकें सत्रारम्भ के पूर्व ही आपको विक्रय करने हेतु उपलब्ध कराने की योजना है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए आपसे समय पर मांग आमंत्रित कर पुस्तकों का मुद्रण करवाया जाना है। आशा है आप इस संबंध में पूर्ण सहयोग करते हुए अपनी मांग प्रस्तुत कर विद्यार्थियों को समय पर पुस्तक उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे।

संलग्न – मांग पत्र।

मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक वितरण केन्द्र

....

कार्यालय का पता – राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर, दूरभाष : 0141–2711237, 2703657

ई–मेल : **rstbsecy22@gmail.com**